

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूं, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्री विष्णु कुमार गोयल-I (R.A.S.)

मुकदमा नं0:-257 / 240 / 99 / 96 / 12

उनवान

1. रामनारायण पुत्र बालू (मृतक दौराने दावा)
 - 1/1. मनीष कुमार उर्फ रिकू पुत्र स्व0 रामनारायण
 - 1/2. सुशीला पत्नि स्व0 रामनारायण
 - 1/3. सुनील उर्फ सोनू पुत्र स्व0 रामनारायण
 - 1/4. नीतू पुत्री स्व0 रामनारायणवादीगण संख्या 1/3 व 1/4 नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती सुशीला देवी समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. बालूराम पुत्र सेडूराम (मृतक दौराने दावा)
 - 2/1. गीता देवी पत्नि जगदीश पुत्री स्व0 बालूराम (मृतक दौराने दावा)
 - 2/1/1. मनोज कुमार पुत्र स्व0 गीता देवी पत्नि जगदीश पुत्री बालूराम
 - 2/1/2. मनीष कुमार पुत्र स्व0 गीता देवी पत्नि जगदीश पुत्री बालूराम
 - 2/2. संतोष देवी पत्नि श्रवण पुत्री स्व0 बालूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम हासपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
 - 2/3. सविता देवी पत्नि प्रकाश पुत्री स्व0 बालूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम हासपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
 - 2/4. बबीता देवी पत्नि निर्मल कुमार पुत्री स्व0 बालूराम, जाति बलाई, निवासी 1-16, मजदूर नगर, सोडाला, जयपुर शहर, जयपुर राज0।
3. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 बालूराम (मृतक दौराने दावा)
 - 3/1. श्रीमती माया देवी पत्नि स्व0 सुरेश कुमार
 - 3/2. लोकेश कुमार पुत्र स्व0 सुरेश कुमार
 - 3/3. हिमांशु पुत्र स्व0 सुरेश कुमारक्रम संख्या 3/2 व 3/3 नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती माया देवी समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. सतीश कुमार पुत्र स्व0 बालूराम
5. श्रवणी देवी पत्नि स्व0 बालूराम
समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
-वादीगण

बनाम

गणपत पुत्र स्व0 सेडूराम, जाति बलाई, निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय


दिनांक :- 28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। उभयपक्षों ने प्राप्त कुर्रैजात रिपोर्ट पर सहमति जताते हुए वाद को निर्णित कर अंतिम रूप से डिक्री करने का निवेदन किया। अतः विवादित भूमि खसरा नं0 194, 196, 895/198, 195, 197, 198/3, 198/2, 198/4, 201, 896/198 कुल किता 10 का कुल रकबा 3.80 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रैजात रिपोर्ट दिनांक 15.02.2019 निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-

1. गणपत पुत्र सेडूराम, जाति बलाई, सा0 देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा गोविन्दगढ़ के हिस्से में खसरा नं0 194 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 195 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 196 रकबा 0.29 है0, खसरा नं0 198/3 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 198/4 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 198/2/1 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 197 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 895/198/1 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 201 रकबा 0.86 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।
2. श्रवणी देवी पत्नि बालूराम हिस्सा 1/8, सतीश कुमार पुत्र बालूराम हिस्सा 1/8, सन्तोष देवी, सविता देवी, बबीता देवी पुत्रीयान बालूराम हिस्सा 1/2, सुशीला देवी पत्नि रामनारायण हिस्सा 1/32, रिकू उर्फ मनीष, सोनू उर्फ सुनिल पिता रामनारायण हिस्सा 1/16, नीतू पुत्री रामनारायण हिस्सा 1/32, माया देवी पत्नि सुरेश कुमार हिस्सा 1/24, लोकेश, हिमांशु पिता सुरेश कुमार नाबालिग जरिये संरक्षिका माया देवी हिस्सा 1/12, मनोज, मनीष पुत्र गीता देवी पत्नि जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/8, जाति बलाई सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 198/2/2 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 895/198/2 रकबा 1.19 है0, खसरा नं0 896/198 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफतर हो।


सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूं

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)


न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, चौमूं, जयपुर
पीठासीन अधिकारी :- श्री विष्णु कुमार गोयल-I (R.A.S.)

उनवान

1. रामनारायण पुत्र बालू (मृतक दौराने दावा)
 - 1/1. मनीष कुमार उर्फ रिकू पुत्र स्व0 रामनारायण
 - 1/2. सुशीला पत्नि स्व0 रामनारायण
 - 1/3. सुनील उर्फ सोनू पुत्र स्व0 रामनारायण
 - 1/4. नीतू पुत्री स्व0 रामनारायण

वादीगण संख्या 1/3 व 1/4 नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती सुशीला देवी समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. बालूराम पुत्र सेडूराम (मृतक दौराने दावा)
 - 2/1. गीता देवी पत्नि जगदीश पुत्री स्व0 बालूराम (मृतक दौराने दावा)
 - 2/1/1. मनोज कुमार पुत्र स्व0 गीता देवी पत्नि जगदीश पुत्री बालूराम
 - 2/1/2. मनीष कुमार पुत्र स्व0 गीता देवी पत्नि जगदीश पुत्री बालूराम
 - 2/2. संतोष देवी पत्नि श्रवण पुत्री स्व0 बालूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम हासपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
 - 2/3. सविता देवी पत्नि प्रकाश पुत्री स्व0 बालूराम, जाति बलाई, निवासी ग्राम हासपुर, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
 - 2/4. बबीता देवी पत्नि निर्मल कुमार पुत्री स्व0 बालूराम, जाति बलाई, निवासी 1-16, मजदूर नगर, सोडाला, जयपुर शहर, जयपुर राज0।
3. सुरेश कुमार पुत्र स्व0 बालूराम (मृतक दौराने दावा)
 - 3/1. श्रीमती माया देवी पत्नि स्व0 सुरेश कुमार
 - 3/2. लोकेश कुमार पुत्र स्व0 सुरेश कुमार
 - 3/3. हिमांशु पुत्र स्व0 सुरेश कुमार

क्रम संख्या 3/2 व 3/3 नाबालिग जरिये संरक्षिका माता श्रीमती माया देवी समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. सतीश कुमार पुत्र स्व0 बालूराम
5. श्रवणी देवी पत्नि स्व0 बालूराम


सहायक कलेक्टर

समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-वादीगण

बनाम

गणपत पुत्र स्व0 सेडूराम, जाति बलाई, निवासी रेल्वे स्टेशन के पास, ग्राम गोविन्दगढ़,
तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

-प्रतिवादी

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा


मुकदमा नं0:-257/240/99/96/12

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल आरएएस-I मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि-

विवादित भूमि खसरा नं0 194, 196, 895/198, 195, 197, 198/3, 198/2, 198/4, 201, 896/198 कुल किता 10 का कुल रकबा 3.80 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 20.02.2019 के निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है:-

1. गणपत पुत्र सेडूराम, जाति बलाई, सा0 देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा गोविन्दगढ़ के हिस्से में खसरा नं0 194 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 195 रकबा 0.09 है0, खसरा नं0 196 रकबा 0.29 है0, खसरा नं0 198/3 रकबा 0.03 है0, खसरा नं0 198/4 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 198/2/1 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 197 रकबा 0.01 है0, खसरा नं0 895/198/1 रकबा 0.24 है0, खसरा नं0 201 रकबा 0.86 है0 कुल किता 9 का कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गयी है, प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

2. श्रवणी देवी पत्नि बालूराम हिस्सा 1/8, सतीश कुमार पुत्र बालूराम हिस्सा 1/8, सन्तोष देवी, सविता देवी, बबीता देवी पुत्रीयान बालूराम हिस्सा 1/2, सुशीला देवी पत्नि रामनारायण हिस्सा 1/32, रिकू उर्फ मनीष, सोनू उर्फ सुनिल पिता रामनारायण हिस्सा 1/16, नीतू पुत्री रामनारायण हिस्सा 1/32, माया देवी पत्नि सुरेश कुमार हिस्सा 1/24, लोकेश, हिमांशु पिता सुरेश कुमार नाबालिग जरिये संरक्षिका माया देवी हिस्सा 1/12, मनोज, मनीष पुत्र गीता देवी पत्नि जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/8, जाति बलाई सा0 देह खातेदार के हिस्से में खसरा नं0 198/2/2 रकबा 0.62 है0, खसरा नं0 895/198/2



सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

रकबा 1.19 है0, खसरा नं0 896/198 रकबा 0.09 है0 कुल किता 3 का कुल
रकबा 1.90 हैक्टेयर भूमि जो नजरी नक्शे में आसमानी रंग से दर्शायी गयी है,
प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी।

निजीमबलिक बाबत खर्चा इस मुकदमे का मय सूद
वगैरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ...
..... को अदा करें।


बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 28.02.2019 को
जारी किया गया

मोहर


दस्तावेज
सहायक कलक्टर
ओहदा चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा	2	1. स्टाम्प अर्जी दावा	
2. स्टाम्प वकालतनामा	1	2. स्टाम्प वकालतनामा	1
3. स्टाम्प वजह सबूत		3. महन्ताना वकील	
4. महन्ताना वकील		4. खर्चा गवाहन	
5. खर्चा गवाहन		5. फीस कमिश्नर	
6. फीस कमिश्नर		6. बाबत इजराय	
7. बाबत इजराय		हुक्मनामा	
हुक्मनामा		7. मुतफरिक	
8. मुतफरिक			
जोड़	3	जोड़	1


सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)